संख्या–1399/VI/2005–3(57)2005

प्रेषक,

संतोष बडोनी,
अनुसचिव
उत्तरांचल शासन ।

सेवा में,

निदेशक पर्यटन,
पटेलनगर, देहरादून ।

पर्यटन अनुभाग: देहरादून दिनांक 6 दिसम्बर, 2005

विषय:–पर्यटन होटल द्रोण स्थित स्टाफ क्वार्टस एवं पर्यटक अतिथि गृह, गौरीकुण्ड की मरम्मत हेतु वित्तीय वर्ष 2005–06 में धनराशि का आवंटन

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–389/2.6.465/04 दिनांक 01–10–2005 के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय विभागीय भवनों की मरम्मत हेतु वित्तीय वर्ष 2005–06 में प्राविधानित धनराशि रू0 10.00 लाख को निदेशक, पर्यटन के निवर्तन में रखते हुए चालू वित्तीय वर्ष में निम्नलिखित योजनाओं हेतु रू0 10.93 लाख के आगणनों के विरूद्ध टी0ए0सी0 द्वारा परीक्षणोपरांत संस्तुत धनराशि रू0 8.15 लाख के आगणनों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति सहित इतनी ही धनराशि को आहरित कर व्यय करने की भी सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

(धनराशि लाख रू0 में)

क्र0 स0	योजना का नाम	स्वीकृति धनराशि (रू0 लाख में)	वित्तीय वर्ष 2003–04 में स्वीकृत धनराशि (रू0 लाख में)	वित्तीय वर्ष 2005–06 हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि (लाख रू0 में) (अंतिम किश्त)
	जनपद–देहरादून			
1–	होटल द्रोण के परिसर में स्थित स्टाफ क्वार्टरों की मरम्मत	8.28	5.70	5.70
	जनपद रूद्रप्रयाग			
2–	पर्यटक अतिथि गृह गौरीकुण्ड की मरम्मत	2.65	2.45	2.45
	योग	10.93	8.15	8.15

(रूपये आठ लाख पन्द्रह हजार मात्र)

2– उक्त स्वीकृत धनराशि इस प्रतिबन्ध के साथ स्वीकृत की जाती है कि मितव्ययी मदों में आवंटित सीमा तक ही व्यय सीमित रखा जाय। यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नही देता जिसे व्यय करने के लिये बजट मैनुअल या वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने के पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। ऐसा व्यय सम्बन्धित की स्वीकृति प्राप्त कर ही किया जाना चाहिये। व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। व्यय करते समय मितव्ययता के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी किये गये शासनादेशों में निहित निर्देश का कड़ाई से अनुपालन किया जाय।

3– आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शिडूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं है अथवा बाजार भाव से ली गई है की स्वीकृति नियमानुसार कम से कम अधीक्षण अभियन्ता स्तर के अधिकारी से स्वीकृत करालें ।

4– कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय ।

5– कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना कि स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय ।

6– एक मुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा ।

7– कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते एंव लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्य को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें ।

9– कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली–भांति निरीक्षण उच्च अधिकारियों एंव गुणवैत्ता के साथ अवश्य करा लें । निरीक्षण के पश्चात् स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जायें।
9– आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृति की गयी है, उसी मद पर व्यय किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जए ।
10–निर्माण सामग्री का उपयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टैस्टिंग करा ली जाय, तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग में लाया जाए ।
11–स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31–03–06 तक पूर्ण उपयोग कर वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध करा दिया जायेगा। यदि कोई धनराशि अवशेष रहती है तो उसे शासन को समर्पित कर दी जायेगी।
12–कार्य इसी लागत में पूर्ण किये जाय और उक्त लागत में कोई भी पुनरीक्षण अनुमन्य नहीं होगा।
13–आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृति की गयी है, उसी मद पर व्यय किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाए।
14–निर्माण सामग्री का उपयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टैस्टिंग करा ली जाय, तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग में लाया जाए ।
15–कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु सम्बन्धित निर्माण एजेन्सी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगी।
16–उपरोक्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2005–2006 के अनुदान संख्या–26 के अन्तर्गत के लेखाशीर्षक–5452–पर्यटन पर पूँजीगत परिव्यय–80–सामान्य–आयोजनागत–104–सम्वर्धन तथा प्रचार–04–राज्य सेक्टर–48–विभागीय भवनों की मरम्मत–24–वृहत्त निर्माण कार्य मद के नामें डाला जायेगा।
17–उपरोक्त आदेश वित्त विभाग के अशा0 सं0–253/XXVII(2)/2005, दिनांक 24 दिसम्बर, 2005 में प्राप्त उनकी सहमति के आधार पर जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(संतोष बडोनी)
अनुसचिव।

संख्या– 1394 VI/2004–3(57) 2005, तद्दिनांकित।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
1– महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तरांचल, माजरा, देहरादून।
2– वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
3– आयुक्त, गढ़वाल मण्डल।
4– जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग, देहरादून।
5– जिला पर्यटन विकास अधिकारी, देहरादून ।
6– वित्त अनुभाग–2,
7– श्री एल0एम0पन्त, अपर सचिव वित्त ।
8– अपर सचिव, नियोजन।
9– निजी सचिव मा0 मुख्यमन्त्री जी, उत्तरांचल शासन।
10– निजी सचिव मा0 पर्यटन मन्त्री जी, उत्तरांचल शासन ।
11–निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तरांचल।
12–गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(संतोष बडोनी)
अनुसचिव।

06010600८